रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2005/पौष 28, 1926

No. 52] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2005/PAUSA 28, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2005

सं. 18/2004—2009

का.आ. 63(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. पैरा 4.2.2 के अन्त में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाएगा :—

"विशेष आर्थिक क्षेत्रों को की गई आपूर्तियों हेतु भी डीएफआरसी जारी किया जा सकता है"

2. उप-पैरा 7.9 (क) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"(क) डीटीए आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित के हकदार होंगे :—

(i) ड्राबैक/डीईपीबी/डीएफआरसी/अग्रिम लाइसेंस

(ii) आपूर्तिकर्ता से निर्यात निष्पादन यदि कोई हो, को पूरा करना।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/92/180/34/एएम 05/पीसी-2]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2005

No. 18/2004—2009

S.O. 63(E).—In exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy :—

1. The following sentence shall be added at the end of Para 4.2.2 :

   "DFRC may also be issued for supplies made to SEZs"

2. Sub-para 7.9(a) shall be amended to read as under :

   (a) DTA supplier shall be entitled for :

      (i) Drawback/DEPB/DFRC/Advance Licence

      (ii) Discharge of Export performance, if any, on the Supplier."

This issues in Public Interest.

[F. No. 01/92/180/34/AM 05/PC.-II]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.